न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 35/2022

बउनवान

1. दिनेश आयु 46 वर्ष पुत्र श्री द्वारकालाल, जाति महाजन, निवासी वार्ड नं. 33 अन्ता जिला बारां (राज0)
2. महेश आयु 43 वर्ष पुत्र द्वारकालाल, जाति महाजन, निवासी वार्ड नंबर 3 गढ़ के बालाजी के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)
3. राकेश आयु 30 वर्ष कृष्णा कुमारी, जाति महाजन, निवासी वार्ड नंबर 37 टोंक, जिला टोंक (राज0) हाल पुणै (महाराष्ट्र)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. सतीश उर्फ सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र द्वारकालाल दत्तक पुत्र श्री रामप्रताप सेठी, निवासी वार्ड नंबर 17 अन्ता जिला बारां (राज0)
2. मंजू आयु 45 वर्ष पत्नि श्री सतीश उर्फ सत्यनारायण जाति महाजन, निवासी वार्ड नंबर 17 अन्ता जिला बारां (राज0)
3. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 2236 आदेश दिनांक 06.07.2020 ग्राम रायथल तहसील मांगरोल, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट (स्पो. कम 1 व 2)

निर्णय दिनांक 19.04.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील में पक्षकारान का वंश वृक्ष इस प्रकार है

माधोलाल मृतक

रामप्रताप — प्रेमबाई (पुत्री), कांतिबाई (पुत्री), स[illegible] (दत्तक पुत्र)

रामनारायण — द्वारकालाल

सतीश उर्फ सत्यनारायण (दत्तक पुत्र रामप्रताप), महेश पुत्र, दिनेश पुत्र, सुमित्रा पुत्री, [illegible]ण पुत्री, केदारी पत्नि

राकेश कुमार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:07 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पारिवारिक सजरे अनुसार रामनारायण व रामप्रताप दोनो भाई थे। एवं रामप्रताप के कोई सुल्की पुत्र नही था, इस कारण उन्होने अपने भतीजे द्वारकालाल के पुत्र सतीश उर्फ सत्यनारायण को बचपन से ही पुत्रवत अपने पास रखा, पालन पोषण किया एवं दिनांक 14.08.1997 को एक रजिस्टर्ड गोदनामा भी तहरीर करवाया। मूल खातेदार माधोलाल की आराजी चक शाहाबाद तहसील अन्ता व ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में स्थित थी, जिसमें माधोलाल की मृत्यु पश्चात उनके दोनो बेटे रामप्रताप व रामनारायण का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। रामप्रताप की मृत्यु पश्चात उनके हिस्से आराजी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल व चक शाहाबाद तहसील अन्ता में दत्तक पुत्र के रूप में सतीश उर्फ सत्यनारायण का नाम दर्ज हुआ। जिसमें से ग्राम रायथल तहसील मांगरोल की आराजी में सतीश उर्फ सत्यनारायण ने अपने हिस्से को अपनी पत्नि मंजू के नाम बतौर खातेदार दर्ज करा दिया। दिनांक 17.07.2018 को अपीलांट के पिता द्वारकालाल पुत्र रामनारायण का स्वर्गवास हो गया। रेस्पोडेन्टस कम 1 द्वारा अपने गोद जाने के तथ्य को छुपाते हुए तथा दो नामों का फायदा उठाते हुए सतीश के नाम से द्वारकालाल की आराजी में बतौर पुत्र अपना नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध है। इंतकाल नंबर 2236 में मृतक द्वारकालाल के स्थान पर उसके वारिसान केदारीबाई पत्नि, दिनेश महेश पुत्र, तथा सुमित्रा बाई पुत्री व पुत्री कृष्णा कुमारी की जगह उसके पुत्र राकेश कुमार का नाम दर्ज हुआ। जिसमें से केदारीबाई व सुमित्राबाई द्वारा अपने हिस्से आराजी का हक त्याग दिनेश व महेश के पक्ष में कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर द्वारकालाल के वारिसान के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 2236 दिनांक 06.07.2020 निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स कम 1, 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रामप्रताप के कोई सुल्की पुत्र नही के कारण सतीश उर्फ सत्यनारायण को गोद लेकर दिनांक 14.08.1997 को एक रजिस्टर्ड गोदनामा तहरीर करवाया। माधोलाल की मृत्यु पश्चात उनके दोनो बेटे रामप्रताप व रामनारायण का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ। रामप्रताप की मृत्यु पश्चात उनके हिस्से आराजी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल व चक शाहाबाद तहसील अन्ता में दत्तक पुत्र के रूप में सतीश उर्फ सत्यनारायण का नाम दर्ज हुआ। दिनांक 17.07.2018 को अपीलांट के पिता द्वारकालाल पुत्र रामनारायण का स्वर्गवास हो गया। रेस्पोडेन्टस कम 1 द्वारा अपने गोद जाने के तथ्य को छुपाते हुए तथा दो नामों का फायदा उठाते हुए सतीश के नाम से द्वारकालाल की आराजी में बतौर पुत्र अपना नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 2236 दिनांक 06.07.2020 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:07 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित सत्यनारायण/सतीश एक ही व्यक्ति है, यह प्रमाणित नही होता है। उक्त नामांतकरण के जानकारी अपीलांट को दिनांक 06.07.2020 को हो चुकी थी। इसके बाद

अपीलांट द्वारा सुमित्रा, केदारीबाई से हकत्याग करवाया गया। मंजू पत्नि सतीश को भूमि विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है। तथा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण अपील निरस्त करवाया जावें।

रिपीटल में वकील अपीलांट ने कथन किया कि मियाद का प्रार्थना पत्र बेचान करने की जानकारी की तिथि से अपील पेश की गई है। सत्यनारायण/सतीश एक ही व्यक्ति है, अलग–अलग होने का शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश नही किया गया है।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

यह अपील द्वारकालाल के फौत होने पर उसकी भूमि सत्यनारायण उर्फ सतीश के भी हिस्से में गलत दर्ज किए जाने तथा सत्यनारायण का रामप्रताप के गोद जाने के आधार पर पेश की है। प्रश्नगत नामांतकरण द्वारकालाल के फौत होने पर उसके वारिसान केदारीबाई, दिनेश, महेश, राकेश कुमार, सतीश, सुमित्रा के हक में खोला गया। वारिसान मे सतीश को भी द्वारकालाल का पुत्र मानकर उसके हक में नामांतकरण दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा रामप्रताप का सत्यनारायण को गोद होने बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया है। नगरपालिका अन्ता के वार्ड पार्षद ने सत्यनारायण का नाम सतीश भी होने का प्रमाण पत्र पेश किया है। अपीलांट द्वारा ग्राम चक शाहबाद तहसील अंता के खसरा नंबर 76 की जमांबदी पेश की है, उसमें खातेदार सत्यनारायण दत्तक पुत्र रामप्रताप अंकित है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सत्यनारायण, रामप्रताप का दत्तक पुत्र है। अतः नामांतकरण सतीश के नाम दर्ज करने में त्रुटि की गई है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम रायथल तहसील मांगरोल का नामान्तरकरण संख्या 2236 दिनांक 06.07.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सतीश व सत्यनारायण एक व्यक्ति होने बाबत् जांच करें। सत्यनारायण के रामप्रताप के गोद जाने बाबत् तथ्यों की पुष्टि कर पुनः द्वारकालाल के वारिसान के हक में नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:07 IST
Reason: SelfAttested